Disclaimer

The Institute has given the right of translation of the material in Hindi and is not responsible for the quality of the translated version. While due care has been taken to ensure the quality of the original material. If any errors or omissions are noticed in Hindi then kindly refer with English version.

अस्वीकरण

भारतीय लेखाकार संस्थान ने इस अध्ययन विषय-वस्तु के हिंदी अनुवाद का अधिकार किसी को दिया था और अनुवादित संस्करण की गुणवत्ता के लिए संस्थान उत्तरदायी नहीं है। हालाँकि, इस अध्ययन विषय-वस्तु के मूल रूप की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखा गया है, फिर भी, यदि हिंदी में कोई त्रुटि या चूक दिखाई देती है तो कृपया अंग्रेजी संस्करण का संदर्भ लें।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

प्रश्न-पत्र – 3: उन्नत लेखापरीक्षा, आश्वासन और व्यावसायिक नैतिकता
(PAPER – 3: ADVANCED AUDITING, ASSURANCE AND PROFESSIONAL ETHICS INTERNATIONAL TAXATION)

प्रश्न (QUESTIONS)

भाग क: बहुविकल्पीय प्रश्न (PART A: Multiple Choice Questions)

एकीकृत केस परिदृश्य (Integrated Case Scenarios)

मेसर्स बीएनएम एंड एसोसिएट्स, सनदी लेखाकार, 31 मार्च 2025 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु टेक्नोलॉजी कंपनी मेसर्स एफईएस लिमिटेड की वैधानिक लेखापरीक्षा कर रहे हैं।

लेखापरीक्षा पूरी करने से पहले, लेखापरीक्षा समिति और लेखापरीक्षकों के बीच इस बात को लेकर मतभेद था कि निम्नलिखित में से वे कौन से विषय-क्षेत्र हैं जिन्हें लेखापरीक्षक को एएस 701 के अनुसार "लेखापरीक्षा की मुख्य विषयवस्तु" का निर्धारण करने हेतु ध्यान में रखना चाहिए:

(I) वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान, विदेशी मुद्रा दरों में उतार-चढ़ाव और अपर्याप्त हेजिंग व्यवस्था के कारण कंपनी की आय काफी अधिक प्रभावित हुई। लेखा परीक्षकों को वित्तीय विवरणों पर इन लेनदेन के प्रभाव का मूल्यांकन करना था।

(II) यह पाया गया कि कंपनी का सर्वर मेंटेनेंस कार्य बाहरी एक्सेस से प्रभावित था, जो प्रबंधन की विशेषज्ञ समिति द्वारा मूल्यांकन और रिपोर्ट के अनुसार बहुत अधिक जोखिम वाला क्षेत्र था।

(III) लेखा परीक्षक को उन क्षेत्रों पर भी निर्णय लेने थे, जहाँ कंपनी का प्रबंधन भी बड़े निर्णय लेता था। इस संबंध में एक मुख्य बिंदु यह था कि कंपनी कुछ ही ग्राहकों पर बहुत अधिक निर्भर थी। हालांकि, प्रबंधन का मानना था कि कंपनी का बाजार बढ़ रहा है और नए ग्राहक आएंगे, लेखा परीक्षक को वित्तीय विवरणों की समीक्षा करते समय इस अंतर पर सावधानीपूर्वक विचार करना था।

विचार-विमर्श के बाद आपसी सहमति बनी और एफईएस लिमिटेड का लेखा-परीक्षण पूरा हो गया।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

इसके पश्चात्, बीएनएम एंड एसोसिएट्स को द्वारका नगर निगम द्वारा अपने अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण हेतु जारी किए गए एक टेंडर का पता चला, जिसके लिए 85,000 रुपये की बयाना राशि जमा करनी थी। बीएनएम एंड एसोसिएट्स का एक भागीदार द्वारका में रहता है, इसलिए उसने फर्म को टेंडर हेतु आवेदन करने के लिए राजी किया और बयाना राशि का भुगतान कर दिया। हालांकि, फर्म के दूसरे भागीदार का मानना था कि ऐसा करना पेशेवर कदाचार है और उसने टेंडर का आवेदन वापस लेने को कहा। फर्म ने टेंडर का आवेदन वापस लेने से पहले एक अनुभवी सीए से संपर्क करने का फैसला किया और अन्य कार्यों पर ध्यान देने लगी।

बीएनएम एंड एसोसिएट्स ने भारत में मुख्यालय वाली बैंकिंग कंपनी कैश लिमिटेड का वैधानिक लेखापरीक्षण भी शुरू किया। लेखापरीक्षण के दौरान, निम्नलिखित टिप्पणियाँ की गईं:

(i) बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों को बिना किसी पूर्व सूचना के बार-बार एक पद से दूसरे पद पर ट्रांसफर किया जाता था।

(ii) नकदी की प्रतिदिन सैंपल जांच की जाती थी तथा कैशियर के अलावा बैंक के किसी अन्य अधिकारी द्वारा कभी-कभी पूरी नकदी की गणना की जाती थी।

(iii) नकदी की भौतिक अभिरक्षा पूरी तरह से शाखा के वरिष्ठतम अधिकारी के पास थी।

(iv) जावक निकासी (आउटवर्ड क्लीयरेंस) के ज़रिए प्राप्त अदत्त चेकों को बैंक के लॉकरों में सुरक्षित रखा गया था।

आंतरिक नियंत्रण और तरीकों पर चर्चा एवं समीक्षा के पश्चात्, फर्म ने वित्तीय वर्ष हेतु लेखापरीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया और जारी किया।

बीएनएम एंड एसोसिएट्स के भागीदार सीए एम का मानना था कि किसी भी व्यक्ति को हमेशा अपने मनोभाव का पालन करना चाहिए, चाहे उसका पेशा या व्यवसाय कुछ भी हो। इस विश्वास से प्रेरित होकर, उन्होंने अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी कार्य के अलावा निम्नलिखित कार्यों में भी हिस्सा लिया:

(1) नोएडा स्थित किसी गैर-लाभकारी संगठन में अंशकालिक रोजगार।

(2) बैंगलोर के बाहर स्थित अपनी निजी स्वामित्व वाली कृषि भूमि पर कृषि गतिविधियों में शामिल होना।

(3) चेन्नई में एक निजी शैक्षणिक संस्थान में अंशकालिक संकाय सदस्य के रूप में ट्यूटरशिप।

(4) त्रिवेंद्रम में एक धर्मार्थ शैक्षिक संगठन में मानद पद का नेतृत्व।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए:

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

1. एसए 701, "स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में लेखापरीक्षा की मुख्य विषयवस्तु का संचार" के अनुसार, लेखा परीक्षा समिति और लेखा परीक्षकों को 'लेखापरीक्षा की मुख्य विषयवस्तु' का निर्धारण करते समय उपर्युक्त क्षेत्रों में से किस पर विचार करना चाहिए?

    (क) (I) एवं (III)

    (ख) केवल (II)

    (ग) (I) एवं (II)

    (घ) (I), (II) एवं (III)

2. कैश लिमिटेड के लेखा परीक्षक की भूमिका ग्रहण करते हुए, उपरोक्त अवलोकनों के आधार पर, आप किन पहलुओं को नियंत्रण विफलता मानते हुए रिपोर्ट करेंगे, और उन्हें ऐसा मानने के पीछे आपका तर्क क्या होगा?

    (क) (i) और (ii) – बिना किसी पूर्व सूचना के कर्मचारियों का बार-बार ट्रांसफर करना मानव संसाधन विभाग के भीतर पर्याप्त नियंत्रण की कमी को दर्शाता है। इसी तरह, नामित कैशियर के अलावा किसी और को नकदी की जांच करने और पूरी तरह से गिनने की अनुमति देना नकदी प्रबंधन पर उचित नियंत्रण की कमी को दर्शाता है।

    (ख) केवल (i) – बिना पूर्व सूचना के कर्मचारियों का बार-बार ट्रांसफर यह दर्शाता है कि मानव संसाधन विभाग का अपने कार्यों पर उचित नियंत्रण नहीं है।

    (ग) (ii) और (iv) – नकदी की जांच और पूरी तरह से गिनने हेतु नामित कैशियर के अलावा किसी और को अनुमति देना नकदी प्रबंधन पर उचित नियंत्रण की कमी को दर्शाता है। इसके अलावा, जावक निकासी (आउटवर्ड क्लीयरेंस) में प्राप्त किसी भी अदत्त चेक को बैंक द्वारा नष्ट कर दिया जाना चाहिए क्योंकि उन्हें बैंक अपने पास नहीं रख सकता है।

    (घ) (iii) और (iv) – नकदी को हमेशा दो प्राधिकृत अधिकारियों की संयुक्त अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए, क्योंकि इसे किसी एक व्यक्ति को सौंपने से नियंत्रण का जोखिम पैदा होता है। इसके अलावा, जावक निकासी (आउटवर्ड क्लीयरेंस) के दौरान लौटाए गए किसी भी अदत्त चेक को या तो ग्राहकों को उनके दर्ज पते पर भेज दिया जाना चाहिए या ग्राहकों को बैंक से उन्हें लेने हेतु सूचित किया जाना चाहिए।

3. जैसा कि केस में बताया गया है, सीए एम द्वारा की जाने वाली विभिन्न मनोभाव-प्रेरित गतिविधियों में से, इनमें से किनको सामान्यतः भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा अनुमति दी जाती है?

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(क) (1) एवं (3).

(ख) केवल (3).

(ग) (2) और (4).

(घ) (1), (2) एवं (3).

4. सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अनुसार, किस धारा के तहत सीए एम पेशेवर कदाचार का दोषी होंगे?

(क) प्रथम अनुसूची के भाग 1 का खंड 10

(ख) प्रथम अनुसूची के भाग IV का खंड 2

(ग) प्रथम अनुसूची के भाग 1 का खंड 11

(घ) द्वितीय अनुसूची के भाग III का खंड 1

5. क्या सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 के अंतर्गत बीएनएम एंड एसोसिएट्स द्वारा नगरपालिका के टेंडर हेतु आवेदन करना कोई व्यावसायिक कदाचार है?

(क) हां। प्रथम अनुसूची के भाग 1 के खंड 6 के अनुसार, यदि कोई सीए किसी टेंडर के लिए आवेदन करता है तो वह व्यावसायिक कदाचार का दोषी होगा।

(ख) नहीं। अधिनियम के तहत दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई भी सदस्य किसी भी टेंडर के लिए आवेदन कर सकता है, जहां टेंडर लेखापरीक्षा के अलावा किसी अन्य विषय से संबंधित हो। इसके अलावा, सदस्य चार्टर्ड अकाउंटेंट हेतु गैर-अनन्य क्षेत्र के संबंध में बयाना जमा कर सकते हैं।

(ग) हां। हालांकि अधिनियम के तहत दिशा-निर्देश किसी सदस्य को किसी भी टेंडर के लिए आवेदन करने की अनुमति देते हैं, जहां टेंडर लेखापरीक्षा के अलावा किसी अन्य चीज से संबंधित है, लेकिन उसे कोई भी धनराशि जमा करने की अनुमति नहीं है। इसलिए, फर्म का ऐसा करना पेशेवर कदाचार है।

(घ) नहीं। अधिनियम के तहत दिशानिर्देशों के अनुसार, कोई भी सदस्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार या स्थानीय सरकार द्वारा अनुरोधित किसी भी टेंडर के लिए आवेदन कर सकता है। इसलिए, इस मामले में कोई पेशेवर कदाचार नहीं है।

अलग से दिए गए बहु विकल्पीय प्रश्न (Independent MCQs)

6. त्रिप्ति केमिकल्स लिमिटेड की लेखापरीक्षा के दौरान, लेखा परीक्षक, डिशू एंड कंपनी ने विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रक्रियाओं को निष्पादित करते समय राजस्व में असामान्य उतार-चढ़ाव देखा। आगे जांच करने पर, उन्होंने राजस्व को दर्शाने में गलत विवरण

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

देने का पता चला, जो वरिष्ठ वित्त कर्मियों द्वारा इरादतन किया गया प्रतीत होता है। हालांकि प्रबंधन का कहना था कि यह पहली बार हुई त्रुटि थी, लेकिन लेखा परीक्षकों को धोखाधड़ी का संदेह था। लेखा परीक्षण पर मानकों के अनुसार, लेखा परीक्षक को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए?

(क) प्रबंधन की बातों पर भरोसा करना चाहिए और अपरिवर्तित लेखापरीक्षा राय जारी करना चाहिए।

(ख) अतिरिक्त विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएं केवल तभी निष्पादित करनी चाहिए जब गलत विवरण महत्वपूर्ण हो।

(ग) मूल्यांकन करना चाहिए कि क्या गलत विवरण धोखाधड़ी का संकेत देता है, धोखाधड़ी के कारण वस्तुगत गलत विवरण के जोखिम का पुनर्मूल्यांकन करना चाहिए, तथा लेखापरीक्षा साक्ष्य और प्रबंधन अभ्यावेदन के निहितार्थों पर विचार करना चाहिए।

(घ) आगे की प्रक्रिया पूरी किए बिना तुरंत लेखापरीक्षा कार्य से हट जाना।

7. सनदी लेखाकार की एक फर्म वीएमसी एंड कंपनी विगत 10 वर्षों से सूचीबद्ध कंपनी रेयॉक्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा कर रही है। इस पूरी अवधि में सीए रजत, एंगेजमेंट पार्टनर, ने लेखा परीक्षा टीम का नेतृत्व किया है। हाल ही में की गई एक गुणवत्ता नियंत्रण समीक्षा में एक जोखिम को लेकर चिंता जताई गई, क्योंकि सीए रजत के ग्राहक के प्रमुख प्रबंधन कर्मियों के साथ घनिष्ठ संबंध हो गए थे। इस परिदृश्य में एसक्यूसी 1 के अनुसार इस मामले में स्वतंत्रता और निष्पक्षता के खतरे को कम करने हेतु वीएमसी एंड कंपनी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त उपाय होगा?

(क) उसी एंगेजमेंट पार्टनर के साथ काम करना जारी रखना, जब तक कि दस्तावेज़ों से मन एवं आविर्भाव में स्वतंत्रता का प्रमाण मिलता रहे।

(ख) सीए रजत की सहायता हेतु दूसरे साझेदार की नियुक्ति करना, लेकिन उन्हें मुख्य भागीदार के रूप में काम जारी रखने देना।

(ग) एंगेजमेंट पार्टनर को बदलना तथा लेखापरीक्षा सहभागिता का नेतृत्व करने हेतु किसी अन्य योग्य साझेदार को नियुक्त करना।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(घ) रेयोक्स लिमिटेड से अनुरोध करना कि वह ग्राहक की ओर से परिचितता संबंधी जोखिम को कम करने हेतु अपनी वित्त टीम में बदलाव करें।

8. दूरदराज के स्थानों पर कई गोदामों वाली एक बड़ी विनिर्माण कंपनी की वैधानिक लेखा परीक्षा करते समय, लेखा परीक्षा टीम को लॉजिस्टिक बाधाओं के कारण भौतिक स्टॉक की गणना करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। टीम ने एक ऐसी उभरती हुई तकनीक को अपनाने का फैसला किया जिसमें साइट पर शारीरिक रूप से मौजूद हुए बिना इन्वेंट्री सत्यापन करने हेतु सेंसर और हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरों का उपयोग किया जाता है।

निम्नलिखित में से कौन सी टेक्नोलॉजी इसके लिए सबसे उपयुक्त है?

(क) ब्लॉकचेन

(ख) ड्रोन टेक्नोलॉजी

(ग) इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी)

(घ) रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन (आरपीए)

भाग ख: वर्णनात्मक प्रश्न (PART B: DESCRIPTIVE QUESTIONS)

लेखापरीक्षा पर मानक, विवरण और मार्गदर्शन टिप्पणी (Standards on Auditing, Statements and Guidance Notes)

गुणवत्ता नियंत्रण (Quality Control)

9. मध्यम आकार की लेखा परीक्षा फर्म एसडीसी एंड एसोसिएट्स को न्यूरोनिक्स लिमिटेड का लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। यह एक सूचीबद्ध दवा कंपनी है जो जटिल वैश्विक परिचालन के साथ व्यापक अनुसंधान एवं विकास कार्य में संलग्न है। एसडीसी एंड एसोसिएट्स की एंगेजमेंट पार्टनर सीए राशि इसकी लेखा परीक्षा करने वाली लेखा परीक्षा टीम का नेतृत्व कर रही हैं। न्यूरोनिक्स लिमिटेड की लेखा परीक्षा पहले एक बड़ी फर्म द्वारा किया गया था, जिसने दायरे की सीमाओं का हवाला देते हुए एंगेजमेंट से हाथ खींच लिया था। लेखा परीक्षा की योजना के दौरान, सीए राशि को पता चलता है कि उनकी टीम मानक विनिर्माण लेखा परीक्षा में कुशल है, लेकिन उनके पास फार्मा अनुसंधान एवं विकास और संबंधित नियामक ढांचे में अनुभव की कमी है। फर्म पर न्यूरोनिक्स लिमिटेड की लिस्टिंग बाध्यताओं को पूरा करने हेतु समय पर लेखा परीक्षा पूरा करने का दबाव है। प्रबंध साझेदार ने लेखा परीक्षा जारी रखने पर जोर दिया और

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

सीए राशि को समय पर लेखा परीक्षा पूरा करने हेतु फर्म की मानक प्रक्रियाओं पर भरोसा करने की सलाह दी।

एसक्यूसी 1 और एसए 220 के आलोक में, सीए राशि को कार्य जारी रखने से पहले गुणवत्ता नियंत्रण संबंधी उन बातों का विश्लेषण करना चाहिए जिनका मूल्यांकन करना चाहिए। लेखा परीक्षा गुणवत्ता और पेशेवर मानकों को बनाए रखने हेतु उसे क्या कदम उठाने चाहिए?

भौतिकता (मैटेरियल्टी), जोखिम मूल्यांकन एवं आंतरिक नियंत्रण (Materiality, Risk Assessment and Internal Control)

10. सीए काव्या को वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु एक्सवाईआर इंफ्राटेक लिमिटेड का वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। कंपनी दो बिजनेस सेगमेंट में काम करती है: (i) एक कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन जो स्मार्ट टेलीविज़न बनाता है और स्थिर लाभ अर्जित करता है; और (ii) एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिवीजन जो सरकारी अनुबंधों के तहत मेट्रो रेल परियोजनाओं में संलग्न है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिवीजन ने विगत दो वर्षों में देरी और लागत में वृद्धि के कारण परिचालन घाटा होने की जानकारी दी है।

    लेखा परीक्षा की योजना बनाते समय, सीए काव्या को वित्तीय विवरणों की भौतिकता (मैटेरियल्टी) निर्धारित करनी है। वह उन कारकों पर मार्गदर्शन चाहती है जो उचित बेंचमार्क की पहचान को प्रभावित कर सकते हैं और ऐसे बेंचमार्क जो प्रत्येक डिवीजन या प्रभाग पर लागू हो सकते हैं।

रिपोर्टिंग (Reporting)

11. हर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नामक विनिर्माण कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में अपनी 25वीं वर्षगांठ मनाने हेतु पुणे में अपने मौजूदा औद्योगिक परिसर में एक नया अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है। परिसर का विस्तार करने हेतु कंपनी ने कंपनी की कार्यकारी निदेशक सुश्री रीना के स्वामित्व वाली एक सन्निकट भूमि का अधिग्रहण करने का निर्णय लिया।

    कंपनी ने नकद लेन-देन करने के बजाय दूसरे औद्योगिक क्षेत्र में स्थित अपनी अल्प उपयोग वाली भूमि में से एक को इस भूमि से बदलने की पेशकश की। हालाँकि कंपनी की ज़मीन सुश्री रीना की ज़मीन से लगभग दोगुनी थी, लेकिन इसे व्यावसायिक रूप से कम उपयोगी माना जाता था। बोर्ड ने इस अदला-बदली को मंज़ूरी दे दी और जनवरी 2023 में एक पंजीकृत समझौता किया गया।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

हर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के लेखापरीक्षा एंगेजमेंट पार्टनर के रूप में, आप भूमि की इस अदला-बदली लेनदेन के संबंध में कौन सी अतिरिक्त लेखापरीक्षा प्रक्रियाएं निष्पादित करेंगे, और रिपोर्टिंग के परिप्रेक्ष्य से आपकी क्या जिम्मेदारियां होंगी?

12. कुबेर टेक सॉल्यूशंस लिमिटेड 31 मार्च 2025 को समाप्त वर्ष हेतु अपने वित्तीय विवरणों को अंतिम रूप देने वाली है। कंपनी को 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के आंकड़ों सहित तुलनात्मक वित्तीय विवरण पेश करना है। रोशन एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को चालू वर्ष हेतु वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है।

लेखापरीक्षा के दौरान, एंगेजमेंट पार्टनर सीए रोशन ने निम्नलिखित बातें दर्ज कीं:

विवरण	वित्त वर्ष 2023–24	वित्त वर्ष 2024–25
लेखा परीक्षक	गुप्ता एंड मेहरा एलएलपी, सनदी लेखाकार	रोशन एंड कंपनी, सनदी लेखाकार
लेखापरीक्षा राय	प्रतिकूल	प्रगतिधीन लेखापरीक्षा
संशोधित राय का कारण	व्यापार प्राप्य के मूल्यांकन और प्रकटीकरण में वस्तुगत मिथ्या विवरण	मिथ्या विवरण अभी भी सुधारा नहीं गया है
वित्तीय विवरण की प्रस्तुति	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लेखा परीक्षा में तुलनात्मक रूप से प्रस्तुत आंकड़े	तुलनात्मक वित्तीय विवरण (वर्तमान + पिछला वर्ष)

(क) पिछले वर्ष की प्रतिकूल राय पर विचार करते हुए, चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों पर रिपोर्टिंग करते समय सीए रोशन के क्या कर्तव्य हैं?

(ख) लेखापरीक्षा पर प्रासंगिक मानकों के अनुसार चालू वर्ष की लेखापरीक्षा रिपोर्ट में क्या संशोधन या प्रकटीकरण अपेक्षित हैं?

वित्तीय विवरण की समीक्षा (Review of Financial Information)

13. अमर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो टर्नकी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं में संलग्न है, एक विदेशी कंपनी के साथ रणनीतिक संयुक्त उद्यम हेतु चर्चा कर रही है। सम्यक् तत्परता के हिस्से के रूप में, विदेशी कंपनी ने पूर्ण लेखा परीक्षा के बजाय 30 सितंबर 2024 को समाप्त होने वाली छह महीने की अवधि हेतु अमर प्रोजेक्ट्स के अंतरिम वित्तीय विवरणों की समीक्षा का अनुरोध किया है। इस अनुरोध का अनुपालन करने हेतु

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

प्रबंधन सीए तन्वी, एक अभ्यासरत चार्टर्ड अकाउंटेंट को समीक्षा करने और समीक्षा अनुबंधों (एसआरई) पर लागू मानकों के तहत एक रिपोर्ट जारी करने के लिए नियुक्त करता है। अनुबंध को स्वीकार करने से पहले, सीए तन्वी समीक्षा के दायरे, आश्वासन की प्रकृति और अपनी समीक्षा रिपोर्ट के उपयुक्त प्रारूप का आकलन कर रही हैं।

(i) समीक्षा कार्य में किस प्रकार का आश्वासन दिया जाता है? यह लेखा परीक्षा से किस प्रकार भिन्न है?

(ii) एसआरई 2410 के अनुसार लिखित समीक्षा रिपोर्ट में कौन से मुख्य घटक शामिल किए जाने चाहिए? साथ ही, बताएं कि क्या इस तरह के काम हेतु यूडीआईएन की आवश्यकता है।

डिजिटल लेखा परीक्षा एवं आश्वासन (Digital Auditing and Assurance)

14. सुजल को कशिश लिमिटेड का लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, जो अपने मुख्य व्यवसाय संचालन और वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बहुत अधिक निर्भर है। प्रबंधन के साथ प्रारंभिक चर्चा के दौरान, सुजल ने कंपनी के आईटी जोखिम प्रबंधन ढांचे में निम्नलिखित खामियाँ देखीं:

- आईटी परिस्थिति का हाल ही में कोई जोखिम मूल्यांकन नहीं किया गया है।
- साइबर सुरक्षा संबंधी जोखिमों जैसे अनाधिकृत पहुंच, सिस्टम विफलता या संभावित डेटा उल्लंघनों के प्रबंधन हेतु कोई दस्तावेजी रणनीति नहीं है।
- कंपनी ने अपनी सूचना परिसंपत्तियों को वर्गीकृत नहीं किया है या अपनी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी प्रणालियों की समीक्षा नहीं की है।
- साइबर सुरक्षा जिम्मेदारियों के प्रबंधन हेतु मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (सीआईएसओ) या मुख्य सूचना अधिकारी (सीआईओ) जैसा कोई परिभाषित पद नहीं हैं।
- प्रशासन के प्रभारी व्यक्तियों के साथ इस बात पर कोई चर्चा नहीं हुई है कि साइबर सुरक्षा जोखिम आंतरिक नियंत्रण को कैसे प्रभावित कर सकते हैं, विशेष रूप से वित्तीय रिपोर्टिंग और राजस्व मान्यता पर।

लेखा परीक्षक के रूप में, उपर्युक्त टिप्पणियों के जवाब में सुजल का पहला कदम क्या होना चाहिए?

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

समूह लेखा परीक्षा (Group Audits)

15. सीए राजुल को वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु नेमी लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों का वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। समेकित वित्तीय विवरणों में 9 सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरण और वित्तीय जानकारी शामिल हैं, जिनमें से सभी का किसी अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा किया गया है। नेमी लिमिटेड के प्रबंधन ने सीए राजुल को इन सहायक कंपनियों के लेखा परीक्षा किए गए वित्तीय विवरण, वित्तीय जानकारी और लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रदान की हैं। निम्नलिखित सारांश जानकारी वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु इन सहायक कंपनियों से संबंधित है:

विवरण	राशि
कुल परिसंपत्ति	₹2,200 करोड़
कुल राजस्व	₹1,400 करोड़
शुद्ध नकदी बहिर्वाह	₹25 करोड़

9 सहायक कंपनियों में से तीन भारत के बाहर स्थित हैं। उनके वित्तीय विवरण उनके संबंधित देशों के सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों (जीएएपी) के अनुसार तैयार किए गए हैं और उन क्षेत्रों में लागू लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की गई है।

सीए राजुल को वर्ष 2024-25 हेतु एनईएमआई लिमिटेड के समेकित वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इस मामले की रिपोर्ट कैसे करनी चाहिए, जो लेखा परीक्षा पर लागू मानकों के अनुसार हो? साथ ही, आवश्यक धारणाएँ बनाते हुए, लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल करने वाला एक उपयुक्त पैराग्राफ़ का मसौदा तैयार करें।

बैंकों और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लेखापरीक्षा की विशेष विशेषताएं (Special Features of Audit of Banks & Non-Banking Financial Companies)

16. आप 31 मार्च 2025 को समाप्त होने वाले वर्ष हेतु अनुसूचित कमर्शियल बैंक, एक्सएस बैंक के शाखा संचालन का लेखा परीक्षा कर रहे हैं। ऋण और अग्रिम पोर्टफोलियो की लेखा परीक्षा के दौरान, आपको निम्नलिखित का पता चला:

- कुछ मामलों में उचित ऋण मूल्यांकन के बिना ही अग्रिम राशि स्वीकृत कर दी गई।
- कुछ ऋण बिना पर्याप्त दस्तावेजीकरण के स्वीकृत कर दिए गए, जैसे कि मांग वचन पत्र और दृष्टिबंधक पत्र, तथा अन्य, जहां वितरण के बाद निगरानी कम थी।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

- कई शाखाओं में प्रतिभूतियाँ संयुक्त अभिरक्षा के बजाय एक ही अधिकारी के पास रखी जा रही थीं।
- कुछ ऋण खातों में स्वीकृत सीमा और आहरण क्षमता पार हो गई थी, लेकिन मुख्यालय को इसकी कोई सूचना नहीं दी गई।

उपरोक्त बातों को इंगित करने पर, शाखा प्रबंधक ने जवाब दिया कि वे ऐसे जोखिमों को कम करने हेतु अपने आंतरिक नियंत्रण ढांचे पर भरोसा करते हैं। उपरोक्त स्थिति के आधार पर, ऋण और अग्रिम के क्षेत्र में बैंक द्वारा लागू किए जाने वाले आंतरिक नियंत्रणों की व्याख्या करें।

आंतरिक लेखा परीक्षा (Internal Audit)

17. जेनेवा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो ऑटोमेशन उपकरण के विनिर्माण में संलग्न है, जिसका वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 210 करोड़ रुपये का कारोबार (टर्नओवर) है। इसके अलावा, कंपनी ने उसी वर्ष बैंकों के एक संघ से 95 करोड़ रुपये का ऋण लिया था, जो तुलन पत्र की तारीख तक बकाया था।

इस बीच, रियल एस्टेट डेवलपमेंट में संलग्न एक गैर-सूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी क्रॉस बिल्डकॉन लिमिटेड के वर्ष 2023-24 हेतु निम्नलिखित वित्तीय विवरण थे:

विवरण	राशि
चुकता शेयर पूंजी	₹48 करोड़
कारोबार (टर्नओवर)	₹198 करोड़
बैंक से बकाया ऋण	₹110 करोड़
बकाया जमा	₹30 करोड़

दोनों कम्पनियों के प्रबंधन ने अपने-अपने सलाहकारों से संपर्क कर यह स्पष्टता मांगी है कि क्या उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करना अनिवार्य है।

पेशेवर सलाहकार के रूप में, आपको सलाह देना है:

(क) क्या जेनेवा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करना आवश्यक है।

(ख) क्या क्रॉस बिल्डकॉन लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करना आवश्यक है।

(ग) बताएं कि कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक लेखा परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया जा सकता है।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

सम्यक् तत्परता, जांच और फोरेंसिक लेखा (Due Diligence, Investigation & Forensic Accounting)

18. नवयम लिमिटेड विगत 20 वर्षों से विनिर्माण के व्यवसाय में संलग्न है। कंपनी के प्रबंधन को पता चला कि निर्माण स्थलों पर भेजी जाने वाली निर्माण सामग्री घटिया गुणवत्ता की है जबकि कंपनी के लेखा विभाग द्वारा जारी किया गया भुगतान इससे काफी अधिक है। फोरेंसिक अकाउंटेंट को पूरी जांच करने हेतु कहा गया। फोरेंसिक अकाउंटेंट ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अब अपनी रिपोर्ट तैयार कर रहा है। फोरेंसिक अकाउंटेंट की रिपोर्ट में किन व्यापक विषय-क्षेत्रों की जानकारी शामिल करने की आवश्यकता है?

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) और पर्यावरण, सामाजिक एवं प्रशासन (ईएसजी) आश्वासन (Sustainable Development Goals (SDG) & Environment, Social and Governance (ESG) Assurance)

19. स्किनकेयर प्रोडक्ट्स का कारोबार करने वाली ई-कॉमर्स कंपनी स्किनग्लो लिमिटेड अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर अपनी नई लॉन्च की गई क्रीम का "100% प्राकृतिक एवं रसायन-मुक्त" बताते हुए प्रचारित करती है। हालांकि, प्रोडक्ट पर लगे लेबल को देखने से पता चलता है कि इसमें ऑर्टिफिशियल फ्रेग्रेन्स और प्रिजर्वेटिव मौजूद हैं। एक ग्राहक को जब इसका पता चला तो उसने शिकायत करने की कोशिश की, लेकिन वेबसाइट पर कोई उचित शिकायत फ़ॉर्म या हेल्पलाइन उपलब्ध नहीं थी। इसके अलावा, कंपनी की वेबसाइट पर दर्शाया गया है कि इसका प्राथमिक व्यावसायिक उद्देश्य ग्राहकों को उचित लाभ के बदले उपयोगी उत्पाद एवं सेवाएँ प्रदान करना है। व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) ढांचे के सिद्धांतों के संदर्भ में, चिन्हित करें कि इस मामले में किस सिद्धांत का उल्लेख किया जा रहा है। साथ ही, इस सिद्धांत के मूल घटकों को भी बताएं।

लेखा परीक्षकों की व्यावसायिक नैतिकता एवं दायित्व (नया) (Professional Ethics & Liabilities of Auditors (New))

20. सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 और उसकी अनुसूचियों के प्रावधानों के संदर्भ में टिप्पणी करें:

(क) सीए साहिल ग्रीनवे लिमिटेड के वैधानिक लेखा परीक्षक हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज पर बाजार पूंजीकरण के अनुसार शीर्ष 1000 कंपनियों में आने वाली एक सूचीबद्ध कंपनी है। कंपनी को सेबी के नियमों के अनुसार अपनी व्यावसायिक जिम्मेदारी एवं स्थिरता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) जमा करना अनिवार्य है। ग्रीनवे लिमिटेड ने बीआरएसआर स्टडी/रिपोर्ट तैयार करने और प्रकटीकरण का ड्राफ्ट तैयार करने में सहायता करने हेतु सीए साहिल से संपर्क किया। इसके

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

अलावा, कंपनी ने सीए साहिल से बीआरएसआर कोर पर आश्वासन प्रदान करने का अनुरोध किया, जिसे नियामक फाइलिंग के हिस्से के रूप में पेश किया जाना था। सीए साहिल, स्थिरता रिपोर्टिंग में अपने ज्ञान और विशेषज्ञता में आश्वस्त होने के कारण, दोनों कार्य - बीआरएसआर स्टडी तैयार करना और बीआरएसआर कोर पर आश्वासन प्रदान करना, करने को सहमत हुए।

(ख) मेसर्स आर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार की एक फर्म, ने एक धर्मार्थ संस्था से पेशेवर सेवाओं के बदले 2 लाख रुपये अग्रिम के रूप में प्राप्त किए। इसके अलावा, संस्था ने निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश हेतु फर्म को 10 लाख रुपये सौंपे। लेखा परीक्षकों ने इसे अपने बचत बैंक खाते में जमा कर दिया और अगले तीन महीनों में इसे निवेश नहीं किया।

सुझाए गए उत्तर (SUGGESTED ANSWERS)

भाग क: बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर (PART A: Answers to Multiple Choice Questions)

प्रश्न सं.	उत्तर
1.	(क)
2.	(घ)
3.	(ग)
4.	(ग)
5.	(ख)
6.	(ग)
7.	(ग)
8.	(ख)

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

भाग ख: वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर (PART B: Answers to Descriptive Questions)

9. एसक्यूसी 1, "ऐसी फर्मों का गुणवत्ता नियंत्रण जिसमें ऐतिहासिक वित्तीय जानकारी और अन्य आश्वासन और संबंधित सेवाओं की संलग्नता की लेखा परीक्षा एवं समीक्षा होती है" के अनुसार, एंगेजमेंट पार्टनर के रूप में सीए राशि को यह मूल्यांकन करना अनिवार्य है कि क्या फर्म के पास संबद्धता करने की क्षमताएं, योग्यता, समय और संसाधन हैं, निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाना चाहिए: -

- फर्म के कार्मिकों को प्रासंगिक उद्योगों या विषय-वस्तु का ज्ञान हो;
- फर्म के कार्मिकों के पास प्रासंगिक विनियामक या रिपोर्टिंग अनिवार्यताओं का अनुभव हो, या आवश्यक कौशल व ज्ञान को प्रभावी ढंग से हासिल करने की क्षमता हो;
- फर्म के पास आवश्यक क्षमता और योग्यता वाले पर्याप्त कार्मिक हों;
- यदि आवश्यक हो तो विशेषज्ञ उपलब्ध हैं;
- जहां लागू हो, वहां सहभागिता गुणवत्ता नियंत्रण समीक्षा करने हेतु मानदंड और पात्रता अनिवार्यताओं को पूरा करने वाले व्यक्ति उपलब्ध हैं; तथा
- फर्म रिपोर्टिंग की समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा करने में सक्षम होगी।

एसए 220, "वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा हेतु गुणवत्ता नियंत्रण" के अंतर्गत, लेखापरीक्षा कार्य में इस संबंध में भागीदार की जिम्मेदारी एसक्यूसी 1 की तर्ज पर है, जिसके अनुसार फर्म को ऐसी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, जिसे वह किसी नए ग्राहक के साथ अनुबंध स्वीकार करने से पहले, किसी मौजूदा अनुबंध को जारी रखने का निर्णय लेते समय, और किसी मौजूदा ग्राहक के साथ नए अनुबंध को स्वीकार करने पर विचार करते समय, परिस्थितियों के अनुसार आवश्यक समझे।

प्रमुख मालिकों की सत्यनिष्ठा, एंगेजमेंट टीम की क्षमता और समय तथा संसाधनों सहित आवश्यक क्षमताओं पर विचार, प्रासंगिक नैतिक अनिवार्यताओं का अनुपालन और वर्तमान या पिछले लेखापरीक्षा संलग्नक के दौरान उत्पन्न महत्वपूर्ण मामले और उनके निहितार्थ जैसी जानकारी एंगेजमेंट पार्टनर को यह निर्धारित करने में सहायता करती है कि ग्राहक संबंधों और लेखापरीक्षा संलग्नकों की स्वीकृति और निरंतरता के संबंध में प्राप्त निष्कर्ष उपयुक्त हैं या नहीं।

दिए गए मामले में:

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

- एसडीसी एंड एसोसिएट्स के पास फार्मास्यूटिकल आरएंडडी लेखा परीक्षा, जो एक अत्यधिक विनियमित एवं तकनीकी क्षेत्र है, में अनुभव का अभाव है।
- पिछले लेखापरीक्षक द्वारा कार्यक्षेत्र की सीमाओं का हवाला देते हुए अपना नाम वापस लेना एक चेतावनी जैसा है, जिसका आकलन किया जाना चाहिए।
- एंगेजमेंट टीम में प्रासंगिक विशेषज्ञता का अभाव है, तथा प्रबंध साझेदार की ओर से इसके बावजूद आगे बढ़ने का दबाव है।
- इन मुद्दों पर ध्यान दिए बिना आगे बढ़ना एसक्यूसी 1 और एसए 220 की अनिवार्यताओं का उल्लंघन होगा।

सीए राशि को तब तक अनुबंध नहीं करना चाहिए जब तक कि वह इससे संतुष्ट न हो जाए कि एसक्यूसी 1 और एसए 220 की सभी शर्तें पूरी हो गई हैं। उन्हें निम्न करना चाहिए:

- फर्म की क्षमता का आकलन करना और बाहरी विशेषज्ञों को शामिल करने पर विचार।
- पिछले लेखा परीक्षक के हटने का कारण समझना।
- सुनिश्चित करना कि एक योग्य ईक्यूसीआर समीक्षक नियुक्त किया गया है और लेखा परीक्षा रिपोर्ट जारी करने से पहले समीक्षा पूरी हो गई है।

इससे लेखापरीक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने, व्यावसायिक मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा फर्म को नियामकीय परिणामों से बचाने में मदद मिलेगी।

10. एसए 320 के अनुसार, भौतिकता (मैटेरियल्टी) का निर्धारण करने में पेशेवर निर्णय का प्रयोग किया जाता है। वित्तीय विवरणों की भौतिकता (मैटेरियल्टी) निर्धारित करने में प्रारंभिक बिंदु के रूप में अक्सर चुने गए बेंचमार्क पर प्रतिशतता लागू की जाती है।

उपयुक्त बेंचमार्क की पहचान को प्रभावित करने वाले कारकों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वित्तीय विवरण के घटक (उदाहरण के लिए, परिसंपत्तियां, देनदारियां, इक्विटी, राजस्व, व्यय);
- क्या ऐसी कोई मदें हैं जिन पर विशेष कंपनी के वित्तीय विवरणों के उपयोगकर्ताओं का ध्यान केंद्रित होता है (उदाहरण के लिए, वित्तीय प्रदर्शन के

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

मूल्यांकन के उद्देश्य से उपयोगकर्ता लाभ, राजस्व या शुद्ध परिसंपत्तियों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं);

- कंपनी की प्रकृति, कंपनी अपने जीवन चक्र में अभी कहां है, और उद्योग व आर्थिक परिस्थिति जिसमें कंपनी संचालित होती है;
- कंपनी की स्वामित्व संरचना और उसका वित्तपोषण करने का तरीका (उदाहरण के लिए, यदि किसी कंपनी का वित्तपोषण इक्विटी के बजाय केवल ऋण द्वारा किया जाता है, तो उपयोगकर्ता कंपनी की आय की तुलना में परिसंपत्तियों और उन पर दावों पर अधिक जोर दे सकते हैं); तथा
- बेंचमार्क की सापेक्ष अस्थिरता।

चुने गए बेंचमार्क पर लागू होने वाले प्रतिशतता का निर्धारण करने में पेशेवर निर्णय का प्रयोग होता है। प्रतिशतता और चुने गए बेंचमार्क के बीच कुछ संबंध होता है, जैसे कि निरंतर संचालन से कर पूर्व लाभ पर लागू प्रतिशत आम तौर पर कुल राजस्व पर लागू प्रतिशत से अधिक होगा।

इन्फ्राटेक लिमिटेड के मामले में:

(i) **कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन:** चूंकि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन स्थिर एवं नियमित लाभ अर्जित करता है, इसलिए सीए काव्या कर-पूर्व लाभ (पीबीटी) या आय को बेंचमार्क के रूप में उपयोग करने पर विचार कर सकती हैं।

(ii) **इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिवीजन (जो घाटे में चल रहा है):** इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिवीजन ने बाहरी कारकों (देरी, ओवररन) के कारण घाटे में होने की जानकारी दी है। ऐसे मामलों में, लाभ-संबंधी बेंचमार्क उचित नहीं हो सकते हैं। इसके बजाय राजस्व या सकल लाभ को बेंचमार्क के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।

वैकल्पिक रूप से, इसकी सार्वजनिक उपयोगिता प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कुल लागत या शुद्ध लागत (व्यय घटा राजस्व) जैसे मानक उपयुक्त हो सकते हैं। जहाँ महत्वपूर्ण परिसंपत्तियाँ शामिल हैं, वहाँ कुल परिसंपत्तियाँ भी प्रासंगिक हो सकती हैं।

11. दिए गए मामले में, हर्ष इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने वित्तीय वर्ष के दौरान एक गैर-नकद लेनदेन किया है, जिसमें निदेशक, सुश्री रीना, जो कंपनी के बोर्ड की सदस्य भी हैं, के

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

साथ भूमि की अदला-बदली की गई है। कंपनी ने दूसरे औद्योगिक क्षेत्र में स्थित एक भूमि सुश्री रीना को दे दी, और बदले में, पुणे में अपनी मुख्य विनिर्माण सुविधा से सटे उनके भूखंड का अधिग्रहण कर लिया, जिसका स्वामित्व उनके पास था। यह अदला-बदली निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित थी और जनवरी 2023 में औपचारिक रूप से पंजीकृत समझौते के माध्यम से निष्पादित की गई थी। यह अदला-बदली बिना किसी नकद के की गई थी और इसके बजाय विनिमय की जा रही परिसंपत्तियों के सापेक्ष मूल्य और रणनीतिक महत्व पर निर्भर थी।

चूंकि इस अदला-बदली में कंपनी की एक निदेशक शामिल है और यह गैर-नकद प्रकृति का है, इसलिए यह कंपनी अधिनियम, 2013 और सीएआरओ, 2020 के तहत लेखा परीक्षा के नजरिए से विशेष ध्यान आकर्षित करता है। तदनुसार, लेखा परीक्षक को लेनदेन की उपयुक्तता का आकलन करना चाहिए, वैधानिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए और निम्नलिखित रिपोर्टिंग निहितार्थों पर विचार करना चाहिए।

लेखा परीक्षक को सीएआरओ, 2020 के पैराग्राफ 3 के खंड (xv) के अनुसार ऐसी अदला-बदली की रिपोर्ट करना आवश्यक है, जिसमें कहा गया है कि क्या कंपनी ने निदेशकों या उनके साथ जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन किया है और यदि हां, तो क्या कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है।

इसके अलावा, यह एक संबंधित पक्ष के साथ लेनदेन है। संबंधित पक्ष लेनदेन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के प्रावधानों की अनुपालन की जाँच की जानी चाहिए। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अनुसार एक रजिस्टर बनाए रखना आवश्यक है जिसमें संबंधित पक्षों के साथ अनुबंध दर्ज किया जाए। धारा 177 और धारा 188 के अनुपालन की रिपोर्ट सीएआरओ, 2020 के पैराग्राफ 3 के खंड (xiii) के तहत की जानी चाहिए।

12. **(क)** दिए गए मामले में, सीए रोशन ने पाया कि विगत वर्ष के वित्तीय विवरणों में व्यापार प्राप्तियों के मूल्यांकन और प्रकटीकरण में मिथ्या विवरण के कारण पूरे वित्तीय विवरण को लेकर प्रतिकूल राय थी। एसए 710, "तुलनात्मक जानकारी-संबंधित आंकड़े एवं तुलनात्मक वित्तीय विवरण" के अनुसार, यदि पूर्व अवधि की लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में, जिसे पहले जारी किया गया था, प्रतिकूल राय शामिल थी और जिस मामले के कारण संशोधन किया गया था वह अनसुलझा है, तो लेखापरीक्षक वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों पर लेखापरीक्षक की राय को संशोधित करेगा। लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

संशोधन के आधार पैराग्राफ में, लेखापरीक्षक या तो:

(i) मामले के विवरण में वर्तमान अवधि के आंकड़ों और संगत आंकड़ों दोनों का संदर्भ लें, जिससे संशोधन में सुधार हो, जब मामले के वर्तमान अवधि के आंकड़ों पर प्रभाव या संभावित प्रभाव महत्वपूर्ण हों; या

(ii) अन्य मामलों में, स्पष्ट करें कि लेखापरीक्षा राय को वर्तमान अवधि के आंकड़ों और संगत आंकड़ों की तुलना पर अनसुलझे मामले के प्रभाव या संभावित प्रभाव के कारण संशोधित किया गया है।

मौजूदा मामले में, विगत वर्ष की प्रतिकूल राय का कारण बनने वाला मामला, अर्थात, पिछले वर्ष के व्यापार प्राप्तियों में भौतिक मिथ्या विवरण, चालू वर्ष के वित्तीय विवरणों में ठीक नहीं किया गया है, सीए रोशन को एसए 710 के अनुसार, चालू वर्ष की लेखापरीक्षा राय को संशोधित करना होगा।

(ख) जब तुलनात्मक वित्तीय विवरण पेश किए जाते हैं, तो लेखा परीक्षक की राय उस प्रत्येक अवधि से संबंधित होगी जिसके लिए वित्तीय विवरण पेश किए जाते हैं और जिस पर लेखापरीक्षा राय व्यक्त की जाती है। यदि पिछली अवधि के वित्तीय विवरणों का लेखा-परीक्षण किसी पूर्ववर्ती लेखा परीक्षक द्वारा किया गया था, तो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के अलावा, लेखा परीक्षक को अन्य मामले के पैराग्राफ में यह बताना होगा:

(i) कि पूर्व अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पूर्ववर्ती लेखापरीक्षक द्वारा की गई थी;

(ii) पूर्ववर्ती लेखापरीक्षक द्वारा व्यक्त की गई राय का प्रकार और यदि राय संशोधित की गई थी, तो इसके कारण; और

(iii) उस रिपोर्ट की तारीख

दिए गए मामले में, पिछले वर्ष की लेखा परीक्षा गुप्ता एंड मेहरा एलएलपी द्वारा किया गया था, जिसने व्यापार प्राप्तियों में मिथ्या विवरण के कारण प्रतिकूल राय जारी की थी। तदनुसार, सीए रोशन को चालू वर्ष की लेखा परीक्षक रिपोर्ट में एक अन्य मामले का पैराग्राफ शामिल करना चाहिए, जिसमें यह प्रकटीकरण किया जाना चाहिए कि पिछले वर्ष के वित्तीय विवरणों का लेखा परीक्षा गुप्ता एंड मेहरा एलएलपी द्वारा किया गया था; व्यापार प्राप्तियों में भौतिक गलत विवरण के कारण प्रतिकूल राय व्यक्त की गई थी; और पिछले लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

की तारीख भी बतानी चाहिए।

13. (i) एसआरई 2410 के तहत समीक्षा कार्य सीमित आश्वासन देता है, जो लेखा परीक्षा में प्राप्त उचित आश्वासन की तुलना में कम है। समीक्षा में मुख्यतः वित्तीय और लेखा मामलों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों से पूछताछ करना और विश्लेषणात्मक व अन्य समीक्षा प्रक्रियाओं को लागू करना शामिल है। समीक्षा अंतरिम वित्तीय जानकारी को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मामलों को लेखा परीक्षक के ध्यान में ला सकती है, लेकिन यह सभी साक्ष्य प्रदान नहीं करती है जो लेखा परीक्षा में आवश्यक होंगे।

लेखापरीक्षा एवं समीक्षा के बीच विशिष्ट क्षेत्रों का अवलोकन

लेखापरीक्षा	***समीक्षा***
लेखापरीक्षा एक प्रकार का उचित आश्वासन संबद्धता है जो उचित स्तर का आश्वासन प्रदान करता है।	समीक्षा एक प्रकार का सीमित आश्वासन संबद्धता है, जो उचित आश्वासन संबद्धता की तुलना में निम्न स्तर का आश्वासन प्रदान करता है।
इसमें नियंत्रणों और मूलभूत प्रक्रियाओं के परीक्षणों सहित विस्तृत और व्यापक प्रक्रियाएं निष्पादित की जाती हैं।	इसमें कम प्रक्रियाएं होती हैं तथा मुख्यतः जांच और विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं पर केंद्रित होता है।
पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर उचित निष्कर्ष निकालता है।	पर्याप्त साक्ष्य के आधार पर सीमित निष्कर्ष निकालता है।
यह आश्वासन राय प्रदान करता है। आश्वासन राय की भाषा सकारात्मक शब्दों में लिखी होती है।	यह आश्वासन निष्कर्ष प्रदान करता है। आश्वासन निष्कर्ष की भाषा नकारात्मक शब्दों में लिखी होती है।

(ii) लेखा परीक्षक को एक लिखित रिपोर्ट जारी करनी चाहिए जिसमें निम्नलिखित बातें शामिल हों: -

(क) उपयुक्त शीर्षक

(ख) संबद्धता की परिस्थितियों के अनुसार अपेक्षित प्राप्तकर्ता।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(ग) समीक्षा की गई अंतरिम वित्तीय सूचना की पहचान, जिसमें वित्तीय विवरणों के पूर्ण या संक्षिप्त सेट में शामिल प्रत्येक कथन के शीर्षक की पहचान तथा अंतरिम वित्तीय सूचना में शामिल की गई तारीख **व** अवधि शामिल है।

(घ) यदि अंतरिम वित्तीय सूचना में निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करने हेतु डिज़ाइन किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार किए गए सामान्य प्रयोजन के वित्तीय विवरणों का एक पूरा सेट शामिल है, तो एक बयान कि प्रबंधन लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार अंतरिम वित्तीय सूचना की तैयारी और निष्पक्ष प्रस्तुति के लिए जिम्मेदार है।

(ङ) अन्य परिस्थितियों में, एक बयान कि प्रबंधन लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार अंतरिम वित्तीय जानकारी की तैयारी और प्रस्तुति हेतु जिम्मेदार है।

(च) एक कथन कि लेखा परीक्षक समीक्षा के आधार पर अंतरिम वित्तीय जानकारी पर निष्कर्ष व्यक्त करने हेतु जिम्मेदार है।

(छ) एक बयान कि अंतरिम वित्तीय सूचना की समीक्षा समीक्षा कार्य मानक (एसआरई) 2410, "संस्था के स्वतंत्र लेखा परीक्षक द्वारा की गई अंतरिम वित्तीय सूचना की समीक्षा" के अनुसार की गई थी, और एक बयान कि ऐसी समीक्षा में मुख्यतः वित्तीय और लेखांकन मामलों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों से पूछताछ करना और विश्लेषणात्मक और अन्य समीक्षा प्रक्रियाओं को लागू करना शामिल है।

(ज) यह कथन कि समीक्षा, लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार किए गए लेखापरीक्षा की तुलना में कम व्यापक है और फलस्वरूप लेखापरीक्षक को यह आश्वासन प्राप्त करने में मदद नहीं करती है कि लेखापरीक्षक को उन सभी महत्वपूर्ण मामलों की जानकारी होगी, जिनकी पहचान लेखापरीक्षा में हो सकती है और तदनुसार कोई लेखापरीक्षा राय व्यक्त नहीं की जाती है।

(झ) यदि अंतरिम वित्तीय सूचना में निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करने हेतु डिज़ाइन किए गए वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार तैयार किए गए सामान्य प्रयोजन के वित्तीय विवरणों का एक पूरा सेट शामिल है, तो इस बारे में

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

निष्कर्ष कि क्या कोई ऐसी बात लेखा परीक्षक के ध्यान में आई है जिससे लेखा परीक्षक को विश्वास हो कि अंतरिम वित्तीय सूचना सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण नहीं देती है, या लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार सभी भौतिक मामलों में निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत नहीं होती है।

(ञ) अन्य परिस्थितियों में, इसका निष्कर्ष कि क्या लेखा परीक्षक के ध्यान में कोई ऐसी बात आई है जिससे लेखा परीक्षक को यह विश्वास हो कि अंतरिम वित्तीय सूचना, सभी भौतिक पहलुओं में, लागू वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार नहीं तैयार की गई है।

(ट) रिपोर्ट की तारीख

(ठ) हस्ताक्षर का स्थान

(ड) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) द्वारा निर्दिष्ट लेखा परीक्षक का हस्ताक्षर और सदस्यता संख्या।

(ढ) आईसीएआई द्वारा आवंटित संस्थान के सदस्य की फर्म पंजीकरण संख्या, जहां भी लागू हो।

इसके अलावा, समीक्षा कार्य हेतु यूडीआईएन भी तैयार करना होगा और बताना होगा क्योंकि यह भी आश्वासन कार्य की प्रकृति का है। एसआरई 2400 या एसआरई 2410 के अनुसार किए गए कार्यों के लिए यूडीआईएन बताना होगा।

14. **उपरोक्त टिप्पणियों के जवाब में सुजल का पहला कदम निम्नलिखित तरीके से जोखिम की पहचान करना होना चाहिए: (Sujal's first step in response to the above observations should be to Identify the risk in following manner:)**

- लेखा परीक्षक को यह निर्धारित करना होगा कि क्या संस्था की जोखिम मूल्यांकन प्रक्रिया में साइबर सुरक्षा जोखिमों पर ध्यान दिया गया है।
- संस्था को समय-समय पर जोखिम मूल्यांकन करना चाहिए और प्रबंधन की रणनीति तैयार करनी चाहिए जो संस्था के मुख्य व्यवसाय को प्रभावित करने वाली आईटी सिस्टम की विफलता या डेटा की संभावित हानि या आवश्यकतानुसार डेटा तक एक्सेस में असमर्थता, आईटी नेटवर्क तक अनधिकृत पहुंच के जोखिम से संबंधित साइबर सुरक्षा जोखिमों की पहचान करती हो।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

- संस्था को अपनी सूचना परिसंपत्तियों, अर्थात् परिसंपत्ति प्रबंधन (जैसे, बौद्धिक संपदा, पेटेंट, कॉपीराइट सामग्री, व्यापार संबंधी गोपनियता और अन्य अमूर्त) की एक सूची बनाए रखनी चाहिए और समय-समय पर उसकी समीक्षा करनी चाहिए।
- संस्था को संवेदनशीलता और व्यावसायिक महत्व के आधार पर अपनी सूचना परिसंपत्तियों के संरक्षण को वर्गीकृत और प्राथमिकता देनी चाहिए तथा नेटवर्क से जुड़ी उन प्रणालियों की समय-समय पर समीक्षा करनी चाहिए जिन पर डिजिटल परिसंपत्तियां आधारित हैं।
- प्रशासन के दृष्टिकोण से प्रबंधन को इस बात की समीक्षा करनी चाहिए कि साइबर सुरक्षा जोखिम वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण को कैसे प्रभावित करते हैं। प्रतिकूल हमले के मामले में प्रबंधन वित्तीय डेटा की पुनर्प्राप्ति एवं राजस्व मान्यता पर प्रभाव का आकलन कैसे करेगा।
- प्रबंधन को यह पता लगाना चाहिए कि क्या किसी ने जोखिम-आधारित साइबर सुरक्षा कार्यक्रम स्थापित किया है, जिसका लाभ उठाया जा सकता है। उदाहरण के लिए (एनआईएसटी, आईएसओ आदि)
- कारोबारी परिस्थितियों में साइबर सुरक्षा की समग्र जिम्मेदारी निर्धारित करने हेतु संस्था को साइबर सुरक्षा (सीआईएसओ, सीआईओ) संबंधित पद और जिम्मेदारियां तय करनी चाहिए। इसके अलावा, जोखिम मूल्यांकन पर प्रशासन हेतु जिम्मेदार व्यक्तियों (जैसे, लेखा परीक्षा कमेटी या निदेशक मंडल) के साथ चर्चा की जानी चाहिए।

15. ऐसे मामले में जहां मूल कंपनी का लेखा परीक्षक समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल सभी घटकों का लेखा परीक्षक नहीं है, तो जैसा कि एसए 706 में निर्धारित है, यदि लेखा परीक्षक अन्य लेखा परीक्षकों के लेखा परीक्षा का संदर्भ देना आवश्यक समझता है, तो समेकित वित्तीय विवरणों पर लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा किए गए वित्तीय विवरणों के हिस्से की मात्रा का स्पष्ट प्रकटीकरण किया जाना चाहिए। ऐसा समेकित वित्तीय विवरणों में शामिल घटकों की कुल परिसंपत्ति, राजस्व और नकदी प्रवाह के प्रतिशत या कुल रुपये की राशि बताकर किया जा सकता है, जिनका मूल कंपनी के लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा नहीं किया गया है।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

इस स्थिति में, समेकित वित्तीय विवरणों के वैधानिक लेखा परीक्षक सीए राजुल, समेकन में शामिल सभी घटकों के लेखा परीक्षक नहीं हैं और अन्य लेखा परीक्षकों के काम का संदर्भ देना चाहते हैं, ऐसा संदर्भ लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में अन्य मामले के पैराग्राफ के माध्यम से किया जाना चाहिए। "अन्य मामले पैराग्राफ" का मसौदा इस प्रकार है: -

अन्य मामले पैराग्राफ (Other Matter Paragraph)

हमने नौ (9) सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों एवं अन्य वित्तीय सूचनाओं की लेखा परीक्षा नहीं की है, जिनके वित्तीय विवरणों में 31 मार्च, 2025 तक 2,200 करोड़ रुपये की कुल परिसंपत्ति और 1,400 करोड़ रुपये का कुल राजस्व और उस तिथि को समाप्त वर्ष हेतु 25 करोड़ रुपये का शुद्ध नकद बहिर्वाह शामिल है। इन वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचनाओं की लेखा परीक्षा अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है और ऐसे वित्तीय विवरण, अन्य वित्तीय जानकारी और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट हमें होल्डिंग कंपनी के प्रबंधन द्वारा सौंपी गई है।

समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, जहां तक यह इन सहायक कंपनियों और संयुक्त उद्यमों के संबंध में शामिल राशियों एवं प्रकटीकरणों से संबंधित है, और अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (3) के अनुसार हमारी रिपोर्ट, जहां तक यह पूर्वोक्त सहायक कंपनियों से संबंधित है, पूरी तरह से ऐसे अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्टों पर आधारित है।

इनमें से तीन सहायक कंपनियाँ भारत से बाहर स्थित हैं, जिनके वित्तीय विवरण और अन्य वित्तीय जानकारी उनके संबंधित देशों में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुसार तैयार की गई है और जिनकी लेखा-परीक्षा उनके संबंधित देशों में लागू आम तौर पर स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के तहत अन्य लेखा परीक्षकों द्वारा की गई है। होल्डिंग कंपनी के प्रबंधन ने ऐसी सहायक कंपनियों के वित्तीय विवरणों को उनके संबंधित देशों में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों से भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखा सिद्धांतों में परिवर्तित कर दिया है।

हमने होल्डिंग कंपनी के प्रबंधन द्वारा किए गए इन रूपांतरण समायोजनों का लेखा परीक्षा किया है। जहां तक हमारी राय ऐसी सहायक कंपनियों के शेष तथा मामलों से संबंधित है, वह अन्य लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और होल्डिंग कंपनी के प्रबंधन द्वारा तैयार किए गए और हमारे द्वारा लेखा परीक्षा किए गए रूपांतरण समायोजन पर आधारित है। समेकित वित्तीय विवरणों पर हमारी राय, और अन्य कानूनी और विनियामक अनिवार्यताओं पर हमारी रिपोर्ट, किए गए काम और अन्य लेखा परीक्षकों

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

की रिपोर्टों और प्रबंधन द्वारा प्रमाणित वित्तीय विवरणों और अन्य वित्तीय सूचनाओं पर हमारी निर्भरता के संबंध में उपरोक्त मामलों के संबंध में संशोधित नहीं की गई है।

16. बैंकों से ऋण और अग्रिमों में निम्नलिखित आंतरिक नियंत्रण अपनाने की अपेक्षा की जाती है:

- बैंक को ऋणकर्ताओं की ऋण-पात्रता के संबंध में स्वयं संतुष्ट होने तथा बैंक के उचित प्राधिकारियों से मंजूरी प्राप्त करने के बाद ही अग्रिम राशि देनी चाहिए।
- अग्रिम भुगतान करने से पहले सभी आवश्यक दस्तावेज (जैसे, समझौते, मांग वचन पत्र, दृष्टिबंधक पत्र, आदि) सभी पक्षों द्वारा निष्पादित किए जाने चाहिए।
- प्रतिभूतियों (सिक्योरिटीज़) के मूल्य में किसी भी गिरावट को कवर करने और रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन करने हेतु पर्याप्त मार्जिन रखा जाना चाहिए। ऐसे मार्जिन को बैंक के उचित अधिकारियों द्वारा सामान्य नीति के रूप में या विशिष्ट खातों के लिए विस्तृत जांच के पश्चात् निर्धारित किया जाना चाहिए।
- सभी प्रतिभूतियाँ (सिक्योरिटीज़) जिम्मेदार अधिकारी द्वारा प्राप्त एवं वापस की जानी चाहिए। उन्हें दो ऐसे अधिकारियों की संयुक्त अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए।
- पंजीकरण की आवश्यकता वाली सभी प्रतिभूतियों को बैंक के नाम पर पंजीकृत किया जाना चाहिए या बैंक का स्वामित्व बताने हेतु पर्याप्त दस्तावेजों को लेकर पंजीकृत किया जाना चाहिए।
- सभी खातों को निर्धारित मानदंडों के अनुसार आहरण क्षमता और स्वीकृत सीमा दोनों के भीतर रखा जाना चाहिए। मौजूदा सीमा के अधिकतम 20% और 90 दिनों की अधिकतम अवधि हेतु अतिरिक्त अस्थायी सीमा स्वीकृत की जा सकती है।
- सभी खाते जो स्वीकृत सीमा या आहरण क्षमता से अधिक हैं या अस्वीकृत प्रतिभूतियों के विरुद्ध हैं या अन्यथा अनियमित हैं, उन्हें नियमित रूप से प्रबंधन/मुख्यालय के ध्यान में लाया जाना चाहिए।
- परिचालन (प्रत्येक अग्रिम खाते में) की समीक्षा प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार की जानी चाहिए।

दिए गए मामले में, लेखापरीक्षा के दौरान की गई टिप्पणियों से क्रेडिट मूल्यांकन, दस्तावेज़ीकरण, प्रतिभूतियों की अभिरक्षा तथा अग्रिम खातों की निगरानी से संबंधित

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

आंतरिक नियंत्रण प्रक्रियाओं के पालन में गंभीर चूक का पता चलता है। आंतरिक नियंत्रण ढांचे पर शाखा की निर्भरता इसके वास्तविक निष्पादन से प्रमाणित नहीं होती है। बैंक को क्रेडिट जोखिम को कम करने और अपने हितों की रक्षा हेतु अपने आंतरिक नियंत्रण और नियामक दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

17. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 138 के अनुसार, निम्नलिखित प्रकार की कंपनियों (कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 13 में निर्धारित) को आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करना होगा, जो या तो व्यक्तिगत या साझेदारी फर्म या एक निगमित निकाय हो सकता है, अर्थात्-

(क) प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी;

(ख) प्रत्येक असूचीबद्ध सार्वजनिक कंपनी जिसके पास -

- (i) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान पचास करोड़ रुपए या उससे अधिक की चुकता शेयर पूंजी; या
- (ii) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान दो सौ करोड़ रुपए या उससे अधिक का कारोबार (टर्नओवर); या
- (iii) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय बैंकों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से एक सौ करोड़ रुपए या उससे अधिक का बकाया ऋण या उधार; या
- (iv) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय पच्चीस करोड़ रुपये या उससे अधिक की बकाया जमाराशि; तथा

(ग) प्रत्येक निजी कंपनी जिसके पास -

- (i) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान दो सौ करोड़ रुपए या उससे अधिक का कारोबार (टर्नओवर); या
- (ii) पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय बैंकों या सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं से एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक का बकाया ऋण या उधार है।

(क) जेनेवा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के मामले में, कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान 210 करोड़ रुपये का कारोबार (टर्नओवर) दर्ज किया और इसी अवधि के दौरान बैंकों के एक संघ

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

से 95 करोड़ रुपये का ऋण लिया। चूंकि कारोबार 200 करोड़ रुपये की निर्धारित सीमा से अधिक है, इसलिए कंपनी कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्दिष्ट मानदंडों के अंतर्गत आती है। इसलिए, वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करना अनिवार्य है।

(ख) क्रॉस बिल्डकॉन लिमिटेड के मामले में, कंपनी के पास वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुसार 48 करोड़ रुपये की चुकता शेयर पूंजी, 198 करोड़ रुपये का कारोबार (टर्नओवर), बैंक से 110 करोड़ रुपये की बकाया ऋण और 30 करोड़ रुपये की बकाया जमा राशि है। हालाँकि चुकता पूंजी और कारोबार निर्धारित सीमा से कम है, लेकिन बकाया ऋण और जमा राशि कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत निर्दिष्ट सीमाओं से अधिक है। इसलिए, क्रॉस बिल्डकॉन लिमिटेड को वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु एक आंतरिक लेखा परीक्षक नियुक्त करना अनिवार्य है।

(ग) धारा 138 के अनुसार, आंतरिक लेखा परीक्षक या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या लागत लेखाकार (चाहे वह प्रैक्टिसरत हों या न हो) होगा, या ऐसा कोई अन्य पेशेवर होगा जिसे बोर्ड द्वारा कंपनी के कार्यों और गतिविधियों का आंतरिक लेखा-परीक्षण करने हेतु नियुक्त किया जा सकता है।

- आंतरिक लेखा परीक्षक कंपनी का कर्मचारी हो भी सकता है और नहीं भी।
- प्रभावी होने के लिए, आंतरिक लेखापरीक्षक को प्रबंधन का हिस्सा माना जाना चाहिए, न कि केवल सहायक।

18. फोरेंसिक एकाउंटेंट की रिपोर्ट में शामिल की जाने वाली सूचना के व्यापक क्षेत्र - (Broad areas of information to be incorporated in the report of Forensic accountant -)

रिपोर्ट जारी करना फोरेंसिक अकाउंटिंग का अंतिम चरण है। अकाउंटेंट/जांचकर्ता धोखाधड़ी गतिविधि का विवरण देने वाली जानकारी देंगे, यदि ग्राहक को जांच के निष्कर्षों वाली ऐसी रिपोर्ट की अपेक्षा है, जिसमें साक्ष्य का सारांश, धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप हुई हानि के स्तर के बारे में निष्कर्ष और धोखाधड़ी में शामिल लोगों की पहचान शामिल होगी।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

रिपोर्ट में असाइनमेंट की प्रकृति, जांच का दायरा, इस्तेमाल किए गए दृष्टिकोण, दायरे की सीमाएं और निष्कर्ष और/या राय पर अनुभाग शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट में निष्कर्षों का उचित समर्थन और विवरण देने हेतु आवश्यक अनुसूचियां और ग्राफ़िक्स शामिल होंगे।

रिपोर्ट में यह भी चर्चा की जाएगी कि धोखेबाज ने धोखाधड़ी की योजना कैसे बनाई और किन नियंत्रणों को दरकिनार किया गया, अगर ऐसा कोई नियंत्रण था। यह भी संभावना है कि जांच दल भविष्य में होने वाली किसी भी तरह की धोखाधड़ी को रोकने हेतु संगठन के भीतर नियंत्रणों में सुधार की सिफारिश करेगा।

19. स्किनग्लो लिमिटेड के मामले में, उत्पाद सामग्री का गलत विवरण और उचित शिकायत तंत्र की कमी बीआरएसआर ढांचे के सिद्धांत 9 की सीधे उपेक्षा है। कंपनी को अपने संचालन को प्रभावी उपभोक्ता तरीकों के साथ संरेखित करने के लिए सुधारात्मक उपाय करने चाहिए जैसा कि नीचे दिए गए बीआरएसआर सिद्धांत 9 में उल्लिखित है।

सिद्धांत 9 – उपभोक्ताओं को जिम्मेदार तरीके से उपयोगिता प्रदान करना: (Principle 9 – Provide Value to the Consumers in a Responsible Manner:)

किसी भी व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य उचित लाभ के बदले ग्राहकों को उपयोगी उत्पाद और सेवाएं बनाना या देना है।

इस सिद्धांत से संबंधित मुख्य घटक हैं:

(क) संस्थाओं को उपभोक्ताओं, प्राकृतिक पर्यावरण एवं पूरे समाज पर अपने उत्पादों और सेवाओं के नकारात्मक प्रभावों को कम करने का प्रयास करना चाहिए।

(ख) अपने उत्पादों की संकल्पना, डिजाइन एवं विपणन करते समय संगठन को किसी भी तरह से अपनी पसंद की स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को रोकना नहीं चाहिए।

(ग) संस्थाओं को अपने उत्पादों से उपयोगकर्ता, दुनिया, समाज, जैव विविधता पर पड़ने वाले सभी प्रकार के प्रतिकूल प्रभावों का पारदर्शी और सटीक रूप से प्रकटीकरण करना चाहिए।

(घ) ग्राहक डेटा का चालन करते समय, ग्राहक के गोपनीयता के अधिकार को बनाए रखा जाना चाहिए।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

(ङ) संस्थाओं को ग्राहकों को उनके उत्पादों के उपयोग, पुनः उपयोग, रिसाइक्लिंग और निपटान के सुरक्षित और जिम्मेदार तरीकों तथा अति-उपभोग को रोकने के तरीकों के बारे में जानकारी देनी चाहिए।

(च) अपने उत्पादों का प्रचार करते समय संगठनों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके उत्पादों या उनके उपयोग के बारे में ग्राहकों को भ्रामक एवं भ्रमित करने वाली जानकारी न मिले।

(छ) व्यावसायिक उद्यमों को अपने ग्राहकों को पारदर्शी और सुलभ शिकायत निवारण और फीडबैक प्रबंधन प्रणाली उपलब्ध करानी चाहिए ताकि वे अपनी आवाज उठा सकें या स्पष्टीकरण मांग सकें।

(ज) जब संस्थाएं आवश्यक माल एवं सेवाओं (जैसे उपयोगिताएँ) को प्रदान करने के व्यवसाय में हों, तो उन्हें गैर-भेदभावपूर्ण और जिम्मेदाराना तरीके से सार्वभौमिक पहुंच का प्रयास करना चाहिए, जिसमें उन्हें भी शामिल किया जाना चाहिए जिनकी सेवाएं किसी भी कारण से बंद कर दी गई हैं।

20. **(क)** आईसीएआई के नैतिक मानक बोर्ड द्वारा हाल ही में लिए गए निर्णयों के अनुसार, वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत सदस्य हेतु लेखा परीक्षा ग्राहक के लिए व्यावसायिक उत्तरदायित्व एवं स्थिरता रिपोर्टिंग (बीआरएसआर) अध्ययन तैयार करना स्वीकार्य नहीं है। हालाँकि, वह इस पर सलाहकार सेवाएँ प्रदान कर सकता है। वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में कार्यरत सदस्य का उसी ग्राहक के लिए "बीआरएसआर कोर का आश्वासन प्रदाता" होना स्वीकार्य है।

दिए गए मामले में, ग्रीनवे लिमिटेड, एक सूचीबद्ध कंपनी है, जिसे सेबी के नियमों के अनुसार बीआरएसआर पेश करना अनिवार्य है। कंपनी ने बीआरएसआर अध्ययन तैयार करने और विनियामक प्रस्तुतिकरण हेतु बीआरएसआर कोर पर आश्वासन प्रदान करने के लिए सीए साहिल से संपर्क किया। सीए साहिल ने दोनों कार्य स्वीकार कर लिए।

ईएसबी द्वारा जारी उपरोक्त मार्गदर्शन के मद्देनजर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि सीए साहिल द्वारा अपने लेखा परीक्षा ग्राहक ग्रीनवे लिमिटेड के लिए बीआरएसआर अध्ययन तैयार करने का असाइनमेंट स्वीकार करना वैध नहीं है। हालांकि, बीआरएसआर कोर के लिए आश्वासन प्रदाता के रूप में उनका कार्य करना वैध है। इसलिए, सीए साहिल को बीआरएसआर अध्ययन तैयार

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान

करने का असाइनमेंट स्वीकार करने के लिए पेशेवर कदाचार का दोषी माना जाएगा।

(ख) यदि कोई सनदी लेखाकार अपने ग्राहकों के पैसे को अलग बैंक खाते में नहीं रखता है या ऐसे धन का उपयोग उन कार्यों के लिए नहीं करता है जिनके लिए वह अभिप्रेत है, तो उसका कार्य सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (10) के अंतर्गत व्यावसायिक कदाचार माना जाएगा।

पेशेवर लेखाकार के रूप में अपनी नियुक्ति के दौरान, किसी सदस्य को उसके ग्राहक से धन सौंपा जा सकता है। यदि उसे ऐसा धन मिलता है, तो यह उसका कर्तव्य होगा कि वह उन्हें एक अलग बैंकिंग खाते में जमा करे, और ऐसे धन का उपयोग केवल ग्राहक के निर्देशों के अनुसार या ग्राहक द्वारा इच्छित उद्देश्यों हेतु करे। हालाँकि, किसी सनदी लेखाकार द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बदले प्राप्त किया गया अग्रिम द्वितीय अनुसूची के भाग I के खंड (10) के अंतर्गत नहीं आता है।

दिए गए मामले में चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की एक फर्म मेसर्स आर एंड कंपनी द्वारा ग्राहक के ₹10 लाख, अर्थात् निर्दिष्ट प्रतिभूतियों में निवेश के विशिष्ट उद्देश्य हेतु दी गई राशि, अपने स्वयं के बचत बैंक खाते में जमा करके, लेखा परीक्षकों ने व्यावसायिक कदाचार किया है। इसलिए दिए गए मामले में, मेसर्स आर एंड कंपनी को सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की दूसरी अनुसूची के भाग 1 के खंड (10) के तहत पेशेवर कदाचार का दोषी माना जाएगा।

© भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान